

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-1, छत्तीसगढ़
भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seaccg@gmail.com

विषय:- राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-1 (एस.ई.ए.सी.-1), छत्तीसगढ़ की दिनांक 19/08/2025 को संपन्न 679वीं बैठक का कार्यवाही विवरण

—00—

राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-1 (एस.ई.ए.सी.-1), छत्तीसगढ़ की दिनांक 19/08/2025 को डॉ. प्रकाश चन्द्र पाण्डेय, अध्यक्ष, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-1 की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. रवि प्रकाश मिश्रा, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-1
2. श्री किशन सिंह ध्रुव, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-1
3. डॉ. मोहन लाल अग्रवाल, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-1
4. श्री सुरेश चंद्रा साओं, सदस्य, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-1
5. सदस्य सचिव, राज्य स्तर विशेषज्ञ अंकन समिति-1

समिति द्वारा एजेण्डा में सम्मिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेण्डा आयटम क्रमांक-1: परियोजना प्रस्तावकों द्वारा प्रेषित वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त प्रकरणों में अवलोकन पश्चात् विचार कर पर्यावरणीय स्वीकृति / टीओआर / अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. मेसर्स माँ कुदरगढ़ी स्टोन क्रशर प्राईवेट लिमिटेड (डायरेक्टर-श्री दिनेश कुमार गोयल), ग्राम-विरेनद्रनगर, तहसील-वाङ्गफनगर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2594)

विषय वस्तु	आवेदित प्रकरण से संबंधित विवरण	समिति द्वारा नोट किया गया कि
ऑनलाईन आवेदन	ई.सी. - 437308 एवं 21/07/2023	
खदान का प्रकार	साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान	प्रस्तावित
क्षेत्रफल एवं क्षमता	2.52 हेक्टेयर एवं 54,926.33 टन प्रतिवर्ष	
खसरा क्रमांक	693	
भू-स्वामित्व	निजी भूमि श्रीमती निशा सिंह	सहमति पत्र प्राप्त
बैठक का विवरण	500वीं बैठक दिनांक 11/12/2023	प्रस्तुतीकरण हेतु सूचना दिनांक 06/12/2023

प्रस्तुतीकरण हेतु उपस्थित प्रतिनिधि		श्री शरद कुमार आचार्य, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुये। अधिकृत प्रतिनिधि का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया।
पूर्व में जारी ई.सी.	पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।	
ग्राम पंचायत एन.ओ.सी.	ग्राम पंचायत विरेन्द्रनगर दिनांक 05/10/2021	उत्खनन एवं क्रशर के संबंध में
उत्खनन योजना अनुमोदन	दिनांक 30/06/2023	
500 मीटर	खनि निरीक्षक, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज द्वारा जारी पत्र दिनांक 30/05/2023 अन्य खदानों की संख्या- निरंक	आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी के संबंध में प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
200 मीटर	प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।	200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र, संरचनाएं एवं प्रतिबंधित क्षेत्र के संबंध में प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
एल.ओ.आई.	एल.ओ.आई. धारक - मेसर्स माँ कुदरगढ़ी स्टोन क्रशर प्राईवेट लिमिटेड दिनांक - 04/05/2023 वैधता अवधि - 1 वर्ष	
वन विभाग एन.ओ.सी.	वनमण्डलाधिकारी, बलरामपुर वनमण्डल बलरामपुर द्वारा जारी दिनांक 31/03/2022	वन क्षेत्र से दूरी - 3 कि.मी
महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी	आबादी- विरेन्द्र नगर 400 मीटर स्कूल- ग्राम-गोंदला 2.6 कि.मी. अस्पताल- सुलसुली 3.6 कि.मी. राष्ट्रीय राजमार्ग- 43 कि.मी. राज्यमार्ग -4.65 कि.मी.	झरिया नाला - 2 कि.मी. मौसमी नाला- 500 मीटर
पारिस्थितिकीय/ जैवविविधता	5 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण	

संवेदनशील क्षेत्र	नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं है।	
खनन संपदा एवं खनन का विवरण	उत्खनन विधि - ओपन कास्ट सेमी मेकेनाइज्ड ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग - हॉ रिजर्व्स - जियोलॉजिकल 3,96,396 टन माईनेबल 2,89,085 टन रिकवरेबल 2,74,631 टन प्रस्तावित गहराई 6 मीटर बेंच की ऊंचाई 3 मीटर से 6 मीटर बेंच की चौड़ाई 3 मीटर संभावित आयु 5 वर्ष प्रस्तावित क्रशर - नहीं	वर्षवार प्रस्तावित उत्खनन प्रथम 54,926.33 टन द्वितीय 54,926.33 टन तृतीय 54,926.33 टन चतुर्थ 54,926.33 टन पंचम 54,926.33 टन
उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र	लीज के 7.5 मीटर का क्षेत्रफल - 5,922 वर्गमीटर	उत्खनित - नहीं
गैर माईनिंग	क्षेत्रफल -900 वर्गमीटर क्षेत्र छोड़ने का कारण - 10 मीटर दूर ग्रामीण कच्चा सड़क	माईनिंग प्लान में उल्लेख- हॉ
ऊपरी मिट्टी/ओवर बर्डन प्रबंधन योजना	मोटाई - 0.5 मीटर मात्रा - 9,189 घनमीटर	ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
जल आपूर्ति	मात्रा - 6.49 घनमीटर प्रतिदिन	जल की आपूर्ति स्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण संबंधी जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
वृक्षारोपण कार्य	लीज क्षेत्र के 7.5 मीटर के चारों ओर वृक्षारोपण - 1,500 नग किया जाना है।	लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों का रोपण, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
श्रेणी	बी-2	आवेदित खदान को मिलाकर कुल क्षेत्रफल 2.52 हेक्टेयर है।

1. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) - परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु उपयुक्त विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं

किया गया है। समिति का मत है कि "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण एवं क्षेत्रफल सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया था:-

1. आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी के संबंध में प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र, संरचनाएं एवं प्रतिबंधित क्षेत्र के संबंध में प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी मिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
4. जल की आपूर्ति का माध्यम/स्रोत एवं संबंधित विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों (90 प्रतिशत जीवन दर के आधार पर) का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
6. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के तहत "पवित्र वन निर्माण" के लिए (आंवला, बड़ पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) ग्राम पंचायत के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरावार विवरण एवं क्षेत्रफल सहित) में वृक्षारोपण हेतु पौधों, फेंसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
7. ऊपरी मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
9. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।

11. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
 15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
 16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
 17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् अंडरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
- उपरोक्त वांछित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी। तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 08/02/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा दिनांक 09/05/2024 को जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(ब) समिति की 533वीं बैठक दिनांक 30/05/2024:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. खनि निरीक्षक का दिनांक 30/05/2023 का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक बताई गई है। आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी के संबंध में प्रमाण पत्र कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

2. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक 226/खनिज/उत्खनि./2024 बलरामपुर, दिनांक 29/02/2024 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मस्जिद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध, राज्यमार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
3. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण किये जाने हेतु उपयोग किया जाएगा।
4. जल की आपूर्ति भू-जल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अथॉरिटी से अनुमति प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है। इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
5. लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में वृक्षारोपण (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,500 नग पौधों के लिए राशि 1,05,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,30,000 रुपये, खाद के लिए राशि 45,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 60,000 रुपये, तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 88,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 4,28,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 6,54,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।
6. परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at, Village- Virendra Nagar	
			Pavitra Van Nirman	9.58
			Total	9.58

सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए राशि 70,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,30,000 रुपये, खाद के लिए राशि 30,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 60,000 रुपये, तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 88,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,78,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 5,80,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत विरेन्द्र नगर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1278, क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

7. ऊपरी मिट्टी का दुरुपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
8. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
9. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
10. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
11. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
12. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
14. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
15. परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का नोटरी से सत्यापित शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।
16. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 02/08/2017 को common cause vs. Union of India writ petition (C) 114 of 2014 में दिये गये निर्देश का पालन किया जावेगा। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
17. माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिनांक 08/01/2020 को writ petition (S) Civil No.114 /2014 common cause vs. Union of India & Ors. में दिये गये दिशा निर्देशों का पालन किया जाएगा। इस बाबत् शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

समिति द्वारा तत्समय सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया था कि आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की जानकारी के संबंध में प्रमाण पत्र कार्यालय

कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के जावक क्रमांक एवं दिनांक सहित प्राप्त कर प्रस्तुत किये जाने के उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

तदनुसार एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 03/10/2024 के परिपेक्ष्य में परियोजना प्रस्तावक द्वारा पत्र दिनांक 26/11/2024 के माध्यम से जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत किया गया।

(स) समिति की 679वीं बैठक दिनांक 19/08/2025:

समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के ज्ञापन क्रमांक/1468/खनिज/उत्खनि./2024 बलरामपुर, दिनांक 25/11/2024 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
2. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत एल.ओ.आई. की वैधता दिनांक 03/05/2024 को समाप्त हो गई है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा एल.ओ.आई. की वैधता वृद्धि बाबत न्यायालय संचालक, भौमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के अपील प्रकरण क्रमांक 49/2024 द्वारा जारी पारित आदेश दिनांक 26/05/2025 की प्रति प्रस्तुत की गई है जिसके अनुसार "उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील प्रकरण स्वीकार करते हुये, यह निर्देशित किया जाता है कि छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के नियम 42(5) के तहत नियमानुसार प्रकरण में आशय पत्र की शर्तों की पूर्ति हेतु उक्त पर्यावरण स्वीकृति प्राप्त करने, उत्खनिपट्टा स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण करने हेतु अतिरिक्त समयावधि प्रदान करते हुए प्रकरण कलेक्टर, जिला बलरामपुर-रामानुजगंज को प्रत्यावर्तित किया जाता है।" होना बताया गया है।
3. समिति का मत है कि सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
4. खनि निरीक्षक का दिनांक 30/05/2023 का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, जिसके अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक बताई गई है तथा आवेदित खदान का क्षेत्रफल 2.52 हेक्टेयर है, जो कि 5 हेक्टेयर से कम है। माननीय एन.जी.टी., प्रिंसिपल बेंच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-

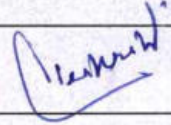
- a) Form-1M be made more comprehensive for areas of 0 to 5 ha by dispensing with the requirement for Public Consultation to be evaluated by SEAC for recommendation of grant EC by SEIAA instead of DEAC/DEIAA.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर या उससे कम होने के कारण यह खदान बी-2 श्रेणी की मानी गयी।
2. आवेदक – मेसर्स माँ कुदरगढ़ी स्टोन क्रशर प्राईवेट लिमिटेड (डायरेक्टर – श्री दिनेश कुमार गोयल) को ग्राम-विरेनद्रनगर, तहसील-वाड्डफनगर, जिला-बलरामपुर-रामानुजगंज के खसरा क्रमांक 693 में स्थित साधारण पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-2.52 हेक्टेयर, क्षमता-54,926.33 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्वीकृति दिए जाने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तर पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदनुसार सूचित किया जाए।

बैठक धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

डॉ. प्रकाश चन्द्र पाण्डेय,	अध्यक्ष एस.ई.ए.सी.-1 छत्तीसगढ़	
डॉ. रवि प्रकाश मिश्रा,	सदस्य एस.ई.ए.सी.-1 छत्तीसगढ़	
श्री किशन सिंह ध्रुव	सदस्य एस.ई.ए.सी.-1 छत्तीसगढ़	
डॉ. मोहन लाल अग्रवाल	सदस्य एस.ई.ए.सी.-1 छत्तीसगढ़	
श्री सुरेश चंद्रा साओं,	सदस्य एस.ई.ए.सी.-1 छत्तीसगढ़	
सदस्य सचिव	सदस्य सचिव एस.ई.ए.सी.-1 छत्तीसगढ़	

मेसर्स माँ कुदरगढ़ी स्टोन क्रशर प्राइवेट लिमिटेड (डायरेक्टर – श्री दिनेश कुमार गोयल)
को खसरा क्रमांक 693, कुल लीज क्षेत्र 2.52 हेक्टेयर, ग्राम-विरेनद्रनगर,
तहसील-वाड्डफनगर, जिला- बलरामपुर-रामानुजगंज में साधारण पत्थर (गौण खनिज)
उत्खनन 54,926.33 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

यह पर्यावरणीय स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा रही है। अतः इन शर्तों को बहुत ध्यान से पढ़ा जावे तथा कड़ाई से पालन करना सुनिश्चित किया जाए।

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 2.52 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से साधारण पत्थर का अधिकतम उत्खनन 54,926.33 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के अनुसार अनुमोदित और नवीनीकृत खनन योजना में निर्धारित परियोजना जीवन या खनन पट्टे की निष्पादन की तारीख से 30 वर्ष तक होगी (जो भी पहले हो)।
3. परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के मुख्य प्रवेश द्वार पर सूचना पटल (लीज धारक का नाम, खदान का क्षेत्रफल, आक्षंश एवं देशांतर सहित, उत्खनन की मात्रा, स्वीकृति अवधि) लगाया जाए।
4. क्लस्टर हेतु प्रस्तुत कॉमन इन्फ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
5. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के पालन में अपूर्ण पालन किये गये शर्तों का कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए।
6. माननीय एन.जी.टी. के आदेश दिनांक 26/02/2021 के अनुसार पट्टेदार द्वारा माईनिंग प्लान एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों का पालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु परियोजना प्रस्तावक को पर्यावरण विशेषज्ञ नियुक्त करना है।
7. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
8. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के

उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाऋतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।

9. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनःस्थापना इस स्थिति तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, वनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।
10. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
11. किसी चिमनी / वेंट / प्वाइंट सोर्स से पार्टिकुलेट मीटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्रशर, स्क्रीन, ट्रांसफर प्वाइंट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेन्मेन्ट कम सप्रेशन सिस्टम एवं जल छिड़काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन /संधारण सुनिश्चित किया जाए। विण्ड ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
12. वाहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
13. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
14. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की चौड़ी पट्टी में कोई वेस्ट का डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में वृक्षारोपण किया जाए। ऐसा करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति किसी भी समय तत्काल प्रभाव से निरस्त की जा सकेगी।

15. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।
16. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का दुरुपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनःभराव के लिए किया जाए।
17. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी/विक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरीत प्रभाव न डाल सकें। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का क्षरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
18. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी/विक्री अयोग्य खनिज (वेस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनःभरण (बैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
19. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने हेतु माईन पीट तथा डम्प क्षेत्र में रिटेनिंग वॉल / गारलेण्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।
20. खनिज का परिवहन कवर्ड वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
21. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
30	2%	0.60	Following activities at, Village- Virendra Nagar	
			Pavitra Van Nirman	9.58
			Total	9.58

22. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया

जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा। वृक्षारोपण असफल होने पर पर्यावरण स्वीकृति निरस्त की जावेगी।

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 1,000 नग पौधों के लिए राशि 70,000 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 1,30,000 रुपये, खाद के लिए राशि 30,000 रुपये, सिंचाई के लिए राशि 60,000 रुपये, तथा रख-रखाव आदि के लिए राशि 88,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,78,000 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 5,80,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम पंचायत विरेन्द्र नगर के सहमति उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 1278, क्षेत्रफल 0.4 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत प्रस्ताव पूर्ण करें।
24. सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
25. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
26. उत्खनन हेतु निषिद्ध क्षेत्र (चारों तरफ 7.5 मीटर चौड़ा क्षेत्र), हॉल रोड, ओवरबर्डन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 1,500 नग वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
27. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2025-26 में कम से कम 200 नग प्रति हेक्टेयर लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 500 नग पौधों का रोपण (कुल 2,000 नग पौधे) खदान के खुले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाड़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में पूर्ण किया जाए एवं शेष 4 वर्षों तक रख-रखाव किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति तत्काल निरस्त की जा सकती है।
28. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी पालन प्रतिवेदन के साथ कार्यालय में प्रस्तुत करें।
29. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) कम से कम 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को

- प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए। आपके द्वारा रोपित पौधों के वृक्षारोपण को सफल बनाना आपकी पूर्ण जिम्मेदारी होगी।
30. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
 31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य एवं सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
 32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
 33. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुप्त प्रभाग में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए। भू-जल स्तर को क्षति न पहुंचे, इसका समुचित ध्यान रखा जाए।
 34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कोई दुष्प्रभाव न हो। क्षेत्र में पाये जाने वाले प्राकृतिक वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं का समुचित संरक्षण आपका दायित्व होगा।
 35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
 36. कार्य स्थल पर यदि कैम्पिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास एवं सुरक्षा हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
 37. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल चिकित्सकीय सुविधा, मोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
 38. श्रमिकों का समय-समय पर आक्यूपेशनल हेल्थ सर्विलेंस कराना आवश्यक है।
 39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
 40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिक्रमण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।

41. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निस्स्राव के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ सचिवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ की वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अम्बिकापुर, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मॉनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार/ एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर /केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मॉनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकेगी।
46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ इस पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने बाबत निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, वन

और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एक्ट 2010 की धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।


सदस्य सचिव, एस.ई.ए.सी. - 01


अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी. - 01